

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2550 / 2022 दिनांक 27.08.2022

श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ0312), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 12.09.2022 से 23.09.2022 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 24.09.2022 से 26.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

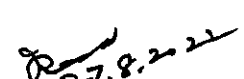
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 26.08.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/16/2000/5015

दिनांक 27.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 65 दिनांक 17.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ0312), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा।


सहायक रजिस्ट्रार